



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1

सं. 587]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2003/अग्रहायण 17, 1925

No. 587]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2003/AGRAHAYANA 17, 1925

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2003

भारत गणराज्य और स्पेन राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 930(अ).— जबकि भारत गणराज्य की सरकार और स्पेन के बीच प्रत्यर्पण संधि पर मेड्रिड में 20 जून, 2002 को हस्ताक्षर हुए थे और 25 फरवरी, 2003 को मेड्रिड में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ तथा जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था है :

भारत गणराज्य और स्पेन राज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है ;

अपराधियों के परस्पर प्रत्यर्पण के लिए प्रावधान बना कर अपराध, विशेषकर संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध में, से बचने और उसके दमन के लिए दोनों देशों के बीच और प्रभावी सहयोग करने की इच्छा से ;

नीचे दिए अनुसार सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद - एक

प्रत्यर्पण के लिए कर्तव्य

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुच्छेद-दो में दिए अनुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध को एक राज्य के क्षेत्र के भीतर करने का आरोपी है अथवा दोषसिद्ध है, और वह दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाता है, दूसरे संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है।
2. अनुच्छेद-दो में दिए अनुसार प्रत्यर्पण ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र से बाहर किया गया हो परन्तु उस पर उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्ते सदृश परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का ऐसे अपराध पर न्यायाधिकार होता। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करेगा।

अनुच्छेद - दो

1. ऐसे अपराधों के लिए भी प्रत्यर्पण किया जाएगा जिनमें अनुरोधकर्ता राज्य और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि की स्वतन्त्रता के हनन अथवा और कड़े दण्ड की सजा दी जा सकती है। दोष-सिद्धि और कारावास की सजा अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में होने की परिस्थिति में दी गई सजा की अवधि कम से कम 6 माह अवश्य होनी चाहिए।
2. यदि प्रत्यर्पण अपराध में अनेक अलग-अलग अपराध शामिल हैं और प्रत्येक अपराध में अनुरोधकर्ता राज्य और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के हनन की सजा दी जा सकती है परन्तु उनमें से कुछ में दी जा सकने वाली सजा की अवधि की शर्त पूरी नहीं होती तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के पास बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण स्वीकार करने का भी अधिकार होगा।

अनुच्छेद - तीन

राजनैतिक अपराध

1. यदि वह अपराध, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का अपराध है तो प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित 'अपराधों' को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा ;

(क) 16 दिसम्बर, 1970 को द हेग में हस्ताक्षर के लिए रखे गए 'विमान के अवैध रूप से पकड़े जाने को रोकने संबंधी अभिसमय' के क्षेत्र के भीतर आने वाला अपराध ;

(ख) 23 सितम्बर, 1971 को माण्ट्रियल में हस्ताक्षर के लिए रखे गए 'नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध अवैध कृत्यों को रोकने संबंधी अभिसमय' के क्षेत्र के भीतर आने वाला अपराध ;

(ग) 14 दिसम्बर, 1973 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखे गए 'राजनयिक अभिकर्ताओं सहित अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से बचने और सजा संबंधी अभिसमय' के क्षेत्र के भीतर अपराध ;

(घ) 18 दिसम्बर, 1979 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखे गए 'बन्धक बनाए जाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय' के क्षेत्र के भीतर अपराध ;

(ङ.) हत्या ;

(च) मानव हत्या अथवा आपराधिक मानव-वध ;

(छ) हमला जिसके कारण शरीर को वास्तव में क्षति पहुंची हो अथवा जिसके फलस्वरूप चोट पहुंची हो, विद्वेषपूर्वक घाव लगाना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहे चोट किसी हथियार, खतरनाक वस्तु अथवा अन्य तरीके से पहुंचाई गई हो ;

(ज) विस्फोट करना जिससे जीवन को खतरा होने की संभावना हो अथवा जिसके कारण सम्पत्ति को भारी क्षति हो ;

(झ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ बनाना अथवा रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरा पहुंचाने अथवा सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाने की इच्छा रखता हो ;

(ञ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोलाबारूद रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरा पहुंचाने की इच्छा रखता हो ;

(ट) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग करना जिसकी स्वयं की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा निरोध का प्रतिरोध करने अथवा उससे बचने की इच्छा हो ;

(ठ) जीवन को खतरा पहुंचाने की इच्छा से अथवा इस बात पर विचार किए बिना कि क्या उससे अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जनोपयोगी अथवा अन्यथा उपयोग में आ रही सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना ;

(ड) बन्धक बनाए जाने सहित व्यपहरण, अपहरण, अप्राधिकृत बन्दीकरण अथवा विधि-विरुद्ध परिरोध ;

(ढ) हत्या के लिए उकसाना ;

(ण) आतंकवाद से सम्बद्ध कोई अन्य अपराध जो अनुरोध के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाता था ;

(त) उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास अथवा अपराध करने का षडयंत्र करना अथवा किसी वैसे व्यक्ति के साथ भागीदार के रूप में कार्य करना जो ऐसा अपराध करता है अथवा ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है ।

3. किसी राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष अथवा उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की जान लेने अथवा जान लेने के प्रयास को इस संधि के तहत राजनैतिक अपराध नहीं माना जाएगा ।

4. यह अनुच्छेद किन्हीं उन बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा जिनके प्रति संविदाकारी राज्य वचनबद्ध हों अथवा जिनके प्रति ये किसी बहुपक्षीय प्रकृति के किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन वचनबद्ध हो सकते हों ।

अनुच्छेद - चार

सैन्य अपराध

सैन्य कानूनों के अन्तर्गत उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण को इस करार के अनुप्रयोग से अलग रखा गया है जिन्हें साधारण फौजदारी कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाता है ।

अनुच्छेद - पांच**राजकोषीय अपराध**

इस करार के उपबंधों के अनुसार कर, सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा सहित राजकोषीय स्वरूप के अन्य अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - छह**राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण**

एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों को किसी अन्य संविदाकारी राज्य में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। यदि अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य मुकदमा चलाये जाने के लिए मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को सौंप सकता है, यदि किये गये कृत्य को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार भी प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाता है। इस प्रयोजन के लिए अपराध से संबद्ध फाइलों, सूचनाओं और संदर्शों को अनुच्छेद 12, पैरा 1 में दिये गये तरीकों द्वारा बिना प्रभार के संप्रेषित किया जाएगा। अनुरोधकर्ता राज्य को उसके अनुरोध के परिणाम की सूचना दी जाएगी।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीयता का निर्धारण किये गये अपराध के समय के आधार पर किया जाएगा।

अनुच्छेद - सात**किये गये अपराध का स्थान**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी वांछित व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है जो उनके कानूनों के अन्तर्गत पूरे अथवा आंशिक रूप में उसके क्षेत्र में अथवा ऐसे क्षेत्र में किया गया है जिसे उसका क्षेत्र माना जाता है।

2. इस संधि के अनुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण स्वीकार किया जा सकता है चाहे वांछित व्यक्ति का वह अपराध कार्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में पूर्णतः अथवा अंशतः हुआ हो बशर्ते उक्त राज्य के कानूनों के अन्तर्गत यह अपराध और उसके दुष्प्रभाव अथवा उसके इच्छित दुष्प्रभावों को समग्र रूप में अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने के बराबर समझा जाए।

अनुच्छेद - आठ

उन्हीं अपराधों के लिए लम्बित कार्रवाइयां

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है यदि उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी पहले ही उस अपराध या अपराधों के संबंध में उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद - नौ

दो बार दण्डित किया जाना

प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि अन्तिम निर्णय उस अपराध या अपराधों, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वांछित व्यक्ति के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित कर दिया गया हो। प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों ने उस अपराध अथवा अपराधों के संबंध में या तो कार्रवाइयां नहीं चलाने अथवा समाप्त करने का निर्णय कर लिया हो।

अनुच्छेद - दस

समय की समाप्ति

प्रत्यर्पण की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब वांछित व्यक्ति, अनुरोधकर्ता अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अनुसार समय की समाप्ति के कारण अभियोजन अथवा दण्ड से उन्मुक्त हो गया हो।

अनुच्छेद - ग्यारह

मृत्यु - दण्ड

यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अनुरोधकर्ता राज्य की विधि के तहत मृत्यु-दण्ड है, और यदि इस प्रकार के अपराध के संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य की विधि में मृत्यु-दण्ड का प्रावधान नहीं है अथवा सामान्यतः निष्पादित नहीं किया जाता है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्ते कि अनुरोधकर्ता राज्य इस प्रकार का आश्वासन देता है जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य पर्याप्त मानता है कि मृत्यु-दण्ड निष्पादित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - बारह

अनुरोध और समर्थन दस्तावेज

1. इस करार के तहत प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच परामर्श के प्रश्चात् संचार के अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है।

2. अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :-

- (क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विवरण ; एक फोटो जिससे उसकी पहचान, राष्ट्रियता और आवास का पता लगाने में मदद मिले ;
- (ख) उस अपराध अथवा उन अपराधों के तथ्यों से संबंधित विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ; और
- (ग) लागू ऐसे कानून अथवा कानूनों के पाठ, जो —
 - (i) अपराध अथवा अपराधों को परिभाषित करते हों ;
 - (ii) अपराध अथवा अपराधों के लिए अधिकतम दण्ड निर्धारित करते हों ;
 - (iii) अपराध अथवा अपराधों की सीमा अवधि और उनके लिए दण्डों को विनियमित करते हों ।

3. यदि अनुरोध किसी आरोपित व्यक्ति से संबंधित है तो इसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट भी संलग्न होना चाहिए ।

4. यदि अनुरोध पहले से ही सिद्धदोष ठहराये गये और सजा सुनाये गये व्यक्ति से संबंधित है तो इसके साथ निम्नलिखित भी भेजा जाएगा ;

- (i) दोषसिद्धि और सजा का एक प्रमाणपत्र ;
- (ii) इस आशय का विवरण कि यह व्यक्ति दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं है ;
- (iii) यह दर्शाने वाला एक विवरण कि सजा का कितना भाग पूरा कर लिया गया है ।

अनुच्छेद - तेरह

पूरक सूचना

यदि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा दी गयी सूचना इस संधि के अनुसरण में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को कोई निर्णय लिये जाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य आवश्यक पूरक सूचनाओं के लिए अनुरोध कर सकता है और वह अनुरोधकर्ता राज्य के साथ विचार-विमर्श करके उनकी प्राप्ति के लिए उचित समय-सीमा निर्धारित कर सकता है ।

अनुच्छेद - चौदह

दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

वारंट, दोषसिद्धि प्रमाणपत्र और कोई अन्य दस्तावेज जिस पर प्रत्यर्पण आधारित है, को अभिप्रमाणित किया जाएगा :

(क) (i) अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायधीश, दण्डाधिकारी अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वारंट के हस्ताक्षित होने के मामले में अथवा किसी मूल दस्तावेज के प्रमाणित होने के मामले में ; और

(ii) अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम मंत्रालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सरकारी मोहर के साथ मोहरबंद होते हुए ; अथवा

(ख) किसी प्रकार की अन्य रीति से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि द्वारा यथा अनुमत हो ।

अनुच्छेद - पन्द्रह

विशिष्टता का नियम

1. उस व्यक्ति जिसे प्रत्यर्पित किया गया है उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी या जिस अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित किया था उसके अलावा उसके समर्पण के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए कोई सजा देने को ध्यान में रखते हुए नजरबन्द नहीं किया जाएगा, न ही, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को किसी अन्य कारण के लिए प्रतिबन्धित नहीं किया जाएगा ।

(क) उस समय जब वह राज्य जिसने उसका समर्पण किया है सहमति देता है । सहमति संबंधी अनुरोध अनुच्छेद 12 में वर्णित दस्तावेजों और संबंधित अपराध के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान के एक विधिक रिकार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाएगा सहमति उस समय प्रदान की जाएगी जब अपराध जिसके लिए वह अनुरोध किया गया है इस करार के प्रावधानों के अनुसार स्वयं प्रत्यर्पण के अध्यक्षीन है ;

(ख) जब उस व्यक्ति के पास उस राज्य के प्रदेश को छोड़ने का एक अवसर था जिसके लिए उसका समर्पण किया गया है, उसने उसकी अन्तिम रिहाई के 45 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा उसे छोड़ने के पश्चात उसी प्रदेश में लौट आया है ।

2. जब आरोपित अपराध का विवरण अथवा दण्ड अभियोजन कार्यवाहियों के दौरान परिवर्तित हो गया है, प्रत्यर्पित व्यक्ति केवल उस अपराध जो प्रत्यर्पण की अनुमति देगा अपने घटक कारकों के द्वारा एक अपराध होगा, उसके नए विवरण के तहत अपराध दर्शाए गए अपराध तक मुकदमा चलाया जाएगा अथवा सजा दी जाएगी ।

अनुच्छेद - सोलह**किसी तीसरे राज्य के लिए पुनः प्रत्यर्पण**

अनुच्छेद 15 पैरा 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की अनुमति के बिना अनुरोधकर्ता राज्य के लिए समर्पण किए गए किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष अथवा किसी तीसरे राज्य को समर्पण नहीं करेगा और जो उसके समर्पण से पूर्व किए गए अपराधों के संबंध में उल्लिखित अन्य पक्ष अथवा तीसरे राज्य द्वारा वांछित है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुच्छेद 12, पैरा 2 में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद - सत्रह**अनन्तिम गिरफ्तारी**

1. तात्कालिकता के मामले में अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी अपनी विधि के अनुसार मामला तय करेंगे।
2. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध में इस बात का उल्लेख होगा कि अनुच्छेद 12 में वर्णित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मौजूद है और यह उल्लेख हो कि प्रत्यर्पण के लिए एक अनुरोध भजने की मंशा है। यह भी उल्लेख हो कि किस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा तथा कब और कहां इस प्रकार का अपराध किया था तथा जहां तक संभव हो वांछित व्यक्ति का एक हुलिया दिया जाए।
3. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध को अनुरोधप्राप्त राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के लिए या तो राजनयिक माध्यम अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इन्टरपोल) या किन्हीं अन्य उन साधनों के जरिए जो लिखित में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं अथवा संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत हैं।
4. अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को उसके अनुरोध के परिणाम को बिना किसी विलम्ब के सूचित किया जाएगा।
5. अनन्तिम गिरफ्तारी समाप्त की जा सकती है यदि, गिरफ्तारी के पश्चात् 60 दिन की अवधि के दौरान, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध तथा अनुच्छेद 12 में वर्णित दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है। विशेष परिस्थितियों में, यह समय सीमा इस प्रकार की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। किसी समय अनन्तिम रिहाई की संभावना अलग नहीं है, किन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति के पलायन को रोकने के लिए कोई उपाय कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
6. यह पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के प्रतिकूल नहीं होगी यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध तत्पश्चात् प्राप्त होता है।

अनुच्छेद - अठारह

परस्पर विरोधी अनुरोध

यदि प्रत्यर्पण अनुरोध एक साथ एक से अधिक राज्यों द्वारा किया जाता है, या तो उसी अपराध के लिए अथवा भिन्न अपराधों के लिए, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सभी परिस्थितियों और विशेषरूप से सापेक्ष गंभीरता और अपराधों के किए जाने के स्थान, अनुरोधों की संबंधित तिथियों, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और दूसरे राज्य के लिए तत्पश्चात् प्रत्यर्पण की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय करेगा।

अनुच्छेद - उन्नीस

समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के संबंध में अपने निर्णय को अनुच्छेद 12, पैरा 1 में निर्दिष्ट साधनों द्वारा अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा।
2. किसी पूर्ण अथवा आंशिक इंकार के संबंध में कारण दिए जाएं।
3. यदि अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो अनुरोधकर्ता राज्य को समर्पण का स्थान और तिथि तथा समय सीमा जिसके लिए वांछित व्यक्ति के समर्पण को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिया था, सूचित किया जाए।
4. इस अनुच्छेद के पैरा 5 के प्रावधानों के अध्वधीन, यदि वांछित व्यक्ति की नियत तिथि को सुपुर्दगी नहीं हो पाई है, तो उसे 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् रिहा किया जा सकता है। यदि उसे उस अवधि के भीतर नहीं लिया गया है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए उसको प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।
5. यदि उसके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियां किसी राज्य को प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के समर्पण अथवा सुपुर्दगी को बाधित करती हैं, तो वह अन्य राज्य को अधिसूचित करेगा। दोनों राज्य समर्पण की किसी नई तारीख पर सहमत होंगे तथा इस अनुच्छेद के पैरा - 4 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद - बीस

समर्पण को आस्थगित करना अथवा सशर्त समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपना निर्णय लेने के बाद इस उद्देश्य से दावा किए गए व्यक्ति के समर्पण को स्थगित कर सकता है कि उक्त राज्य द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा यदि उसे सिद्धवोध ठहराया गया है तो उक्त राज्य के क्षेत्राधिकार में

उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के अलावा अन्य अपराध के लिए उसे सजा दी जा सकती है ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य समर्पण को स्थगित करने के बदले उन शर्तों के अनुसार जिन्हें दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से उस व्यक्ति का समर्पण कर सकता है जिसका दावा अनुरोधकर्ता राज्य ने किया है ।

अनुच्छेद - इक्कीस

सम्पत्ति की सुपुर्दगी

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य जहाँ तक उसके कानून अनुमति देते हैं, तथा अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर निम्नलिखित सम्पत्ति को जब करेगा और उसे सुपुर्द करेगा :

(क) जिसकी साक्ष्य के रूप में जरूरत हो, अथवा

(ख) अपराध करने के कारण जिन्हें अर्जित किया गया है और जिसे गिरफ्तारी के समय दावा किए गए व्यक्ति के कब्जे में पाया गया अथवा उसके बाद खोज निकाला गया ।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित सम्पत्ति, यदि प्रत्यर्पण पर सहमति भी हो जाती है तो भी सौंप दी जाएगी, दावा किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा भाग जाने के कारण नहीं रखी जा सकती है ।

3. यदि उक्त सम्पत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में जब करने योग्य है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में इसे अस्थायी रूप से रख सकता है अथवा इस शर्त पर सौंप सकता है कि इसे वापिस कर दिया जाएगा ।

4. ऐसा कोई अधिकार जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे पक्ष का उक्त सम्पत्ति में कोई अधिकार हो सकता है, को कायम रखा जाएगा । जहां ये अधिकार मौजूद हैं, यह सम्पत्ति मुकदमे के बाद जितना जल्दी सम्भव हो, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बिना किसी प्रभार के वापिस कर दी जाएगी ।

अनुच्छेद - बाईस

पारगमन

1. किसी संविदाकारी राज्य के क्षेत्र के जरिए पारगमन अनुच्छेद बारह के पैरा 1 में उल्लिखित साधनों के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करने पर मंजूर किया जाएगा बशर्ते कि संबंधित अपराध को इस संधि के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए उस राज्य जिससे पारगमन मंजूर करने का अनुरोध किया गया है, एक राजनीतिक अथवा नितान्त सैन्य स्वरूप का अपराध न समझा जाए ।

2. अनुच्छेद छह के अभिप्राय से किसी देश के राष्ट्रिक के पारगमन के लिए कोई अनुरोधप्राप्तकर्ता देश इन्कार कर सकता है ।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 4 के प्रावधानों के अधधीन अनुच्छेद बारह में उल्लिखित दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा ।
4. यदि वायुयान से पारगमन किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

(क) जब वायुयान के उतरने का इरादा न हो तो अनुरोधकर्ता राज्य उस राज्य को अधिसूचित करेगा जिसके प्रदेश के ऊपर से वायुयान गुजरेगा और यह प्रमाणित करेगा कि अनुच्छेद बारह में उल्लिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मौजूद है । वायुयान उतरने की उस स्थिति में जिसकी जानकारी पहले न हो, इस प्रकार की अधिसूचना का आशय अनुच्छेद-सत्रह में की गई व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध से है और अनुरोधकर्ता राज्य पारगमन के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा ।

(ख) जहां वायुयान का उतरने का इरादा है, अनुरोधकर्ता राज्य पारगमन के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद - तेईस

अनुमत कानून

प्रत्यर्पण और अनन्तिम गिरफ्तारी से संबंधित क्रियाविधि नितान्त रूप से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के तहत होगी ।

अनुच्छेद - चौबीस

भाषा

वर्तमान संधि का अनुपालन करते हुए संविदाकारी राज्य, अनुबंध करने वाले अन्य राज्य की राष्ट्र भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करते हुए अपनी-अपनी राष्ट्र भाषा का प्रयोग करेंगे ।

अनुच्छेद - पच्चीस

व्यय

1. प्रत्यर्पण कार्रवाईयों के कारण जिस राज्य से अनुरोध किया गया हो, वह राज्य अपने क्षेत्र में किए गए व्ययों का भुगतान करेगा ।
2. जिस राज्य से परिवहन व्यय प्रदान करने का अनुरोध किया गया हो, वह राज्य अपने क्षेत्र के माध्यम से हुए परिवहन व्यय का भुगतान करेगा ।

अनुच्छेद - छब्बीस**अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताएं**

मौजूदा संधि संविदाकारी राज्यों के, उन अन्तर्राष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी जिनके संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं ।

अनुच्छेद - सत्ताईस**प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता**

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे राज्य को, अपने कानून की अनुमत्य सीमा तक, उस अपराध के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद - अट्ठाईस**अनुसमर्थन और समापन**

1. यह समझौता, दोनों पक्षों के बीच राजनयिक माध्यम से हुए नवीनतम संपर्क वाले महीने के अंतिम दिवस पर प्रवृत्त होगा जिसमें इसके प्रवृत्त होने के लिए संबंधित आंतरिक विधिक अपेक्षाओं का पूरा किया जाना इंगित किया गया हो ।
2. इस संधि के प्रावधान संधि के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात किए गए प्रत्यर्पण अनुरोधों पर लागू होंगे, चाहे अपराध अथवा अपराधों के घटने की तारीख कोई भी हो ।
3. संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य दूसरे राज्य को राजनयिक माध्यम से सूचना देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है ; और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो नोटिस प्राप्त होने के छः महीने के बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी ।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

आज 20 जून 2002 (दो हजार दो) को, मेड्रिड में हिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी में, दो-दो मूल पाठों में संपन्न, इसमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । तथापि, निर्वचन की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्पोपरि होगा ।

भारत गणराज्य
की ओर से

स्पेन राज्य
की ओर से

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना स्पेन राज्य के संबंध में लागू प्रत्यर्पण संधि अथवा प्रत्यर्पण प्रबंधों यदि कोई विद्यमान हों, के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-11 को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्पेन राज्य के लिए लागू होंगे ।

[सं. टी. 413/35/98]

बी. ए. राय, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS.

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2003

Extradition Treaty Between The Republic of India and The Kingdom of Spain

G.S.R. 930(E).— whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Spain was signed at Madrid on 20th June 2002 and the Instruments of Ratification exchanged at Madrid on February 25, 2003 and which Treaty provides as follows:

The Republic of India and the Kingdom of Spain hereinafter referred to as Contracting States;

Desiring to make more effective the co-operation of the two countries in the prevention and suppression of crime, especially with regard to Organized Crime and Terrorism, by making provision for the reciprocal extradition of offenders;

Have agreed as follows:

Article 1

Duty to Extradite

1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

Article 2

Extradition Offences

1. Extradition shall be granted in respect of offenees punishable under the laws of the Requesting State and of the Requested State by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty. Where a conviction and prison sentence occur in the territory of the Requesting State, the punishment awarded must have been for a period of at least six months.

2. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of the Requesting State and the Requested State by deprivation of liberty, but of which some do not fulfil the condition with regard to the amount of punishment which may be awarded, the Requested State shall also have the right to grant extradition for the latter offences.

Article-3 Political Offences

1. Extradition may be refused if the offence for which it is requested is an offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:

- a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;
- b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September, 1971;
- c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for Signature at New York on 14 December, 1973;
- d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 December, 1979;
- e) murder;
- f) manslaughter or culpable homicide;
- g) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
- h) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
- i) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
- j) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another persons to endanger life;
- k) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
- l) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
- m) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
- n) incitement to murder;

- o) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;
- p) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

3. The taking or attempted taking of the life of a Head of State, Head of Government or a member of his or her family shall not be deemed to be a political offence for the purposes of this Treaty.

4. This Article shall not affect any obligations, which the Contracting States may have undertaken or may undertake under any other international convention of a multilateral character.

Article-4 **Military Offences**

Extradition for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law is excluded from the application of this Treaty.

Article 5 **Fiscal Offences**

Extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Treaty for offences of a fiscal character including duties, customs and exchange.

Article 6 **Extradition of nationals**

1. The nationals of a Contracting State may be extradited to the other Contracting State. In the event that extradition is not granted, on the request of the Requesting State, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for prosecution if the act committed is also considered an extradition offence under the law of the Requested State. For this purpose, the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted without charge by the means provided for in Article 12, paragraph 1. The Requesting State shall be informed of the result of its request.

2. For the purpose of this Treaty, nationality shall be determined as at the time of the commission of the offence.

Article 7 **Place of Commission**

1. The Requested State may refuse to extradite a person claimed for an offence which is regarded by its law as having been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory.

2. Extradition may be granted in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the laws of that State this conduct and its effects, or its

intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 8

Pending proceedings for the same offences

The Requested State may refuse to extradite the person claimed if the competent authorities of such State are proceeding against him in respect of the offence or offences for which extradition is requested.

Article 9

Non bis in idem

Extradition shall not be granted if final judgment has been passed by the competent authorities of the Requested State upon the person claimed in respect of the offence or offences for which extradition is requested. Extradition may be refused if the competent authorities of the Requested State have decided either not to institute or to terminate proceedings in respect of the same offence or offences.

Article 10

Period of Limitations

Extradition shall not be granted when the person claimed has, according to the law of either the Requesting or the Requested State, become immune by reason of period of limitations from prosecution or punishment.

Article 11

Capital Punishment

If the offence for which extradition is requested is Punishable by death under the law of the Requesting State, and if in respect of such offence the death-penalty is not provided for by the law of the Requested State or is not normally carried out, extradition shall be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death-penalty will not be carried out.

Article 12

The request and supporting documents

1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channels. Other means of communication may also be used after consultation between the two States.
2. The request shall be accompanied by :
 - a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
 - b) a statement of the facts of the offence or offences for which extradition is requested, and

c) the text, of the applicable law or laws:

- i. defining the offence or offences;
- ii. prescribing the maximum punishment for the offence or offences; and
- iii. regulating the period of limitations of the offence or offences and their punishments.

3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied :

- i. by a certificate of the conviction and sentence;
- ii. by a statement that the person is not entitled to appeal against the conviction;
- iii. by a statement indicating how much of the sentence has not been carried out.

Article 13

Supplementary information

If the information communicated by the Requesting State is found to be insufficient to allow the Requested State to make a decision in pursuance of this Treaty, the latter State shall request the necessary supplementary information and may fix a reasonable time limit for the receipt thereof in consultation with the Requesting State.

Article 14

Authentication of Documents

The warrants, the certificates of conviction and any other judicial document on which the extradition is based, shall be authenticated:

- a) (i) in the case of a warrant by being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and
(ii) by being sealed with the official seal of the Competent Ministry or Competent Authority of the Requesting State; or
- b) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

Article 15

Rule of speciality

1. A person who has been extradited shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was extradited, nor shall he be for any other reason restricted in his personal freedom, except in the following cases:

- (a) When the State which surrendered him consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by the documents mentioned in Article 12 and a legal record of any statement made by the extradited person in respect of the offence concerned. Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the provisions of this Agreement;
- (b) when that person, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it.
2. When the description or the punishment of the offence charged is altered in the course of trial proceedings, the extradited person shall only be proceeded against or sentenced in so far as the offence under its new description is shown by its constituent elements to be an offence which would allow extradition.

Article 16 **Re-extradition to a Third State**

Except as provided for in Article 15, paragraph 1 (b), the Requesting State shall not, without the consent of the Requested State, surrender to another Party or to a third State a person surrendered to the Requesting State and sought by the said other Party or third State in respect of offences committed before his surrender. The Requested State may request the production of the documents mentioned in Article 12, paragraph 2.

Article 17 **Provisional arrest**

1. In case of urgency the competent authorities of the Requesting State may request the provisional arrest of the person sought. The competent authorities of the Requested State shall decide the matter in accordance with its law.
2. The request for provisional arrest shall state that one of the documents mentioned in Article 12 exists and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be requested and when and where such offence was committed and shall so far as possible give a description of the person sought.
3. A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the Requested State either through the diplomatic channel or through the International Criminal Police Organization (Interpol) or by any means affording evidence in writing or accepted by the Contracting States.
4. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.
5. Provisional arrest may be terminated if, within a period of 60 days after the arrest, the Requested State has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article 12. In exceptional circumstances, this time limit may be extended to 90 days from the date of such arrest. The possibility of provisional release at any time is

not excluded, but the Requested State shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

6. Release shall not prejudice re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

Article 18 **Conflicting requests**

If extradition is requested concurrently by more than one State, either for the same offence or for different offences, the Requested State shall make its decision having regard to all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality of the person claimed and the possibility of subsequent extradition to another State.

Article 19 **Surrender**

1. The Requested State shall inform the Requesting State by the means mentioned in Article 12, para 1, of its decision with regard to the extradition.

2. Reasons shall be given for any complete or partial rejection.

3. If the request is agreed to, the Requesting State shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.

4. Subject to the provisions of paragraph 5 of this Article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 30 days. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

5. If circumstances beyond its control prevent a State from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other State. The two States shall agree a new date for surrender and the provisions of paragraph 4 of this Article shall apply.

Article 20 **Postponed or conditional surrender**

1. The Requested State may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded against by that State or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the territory of that State for an offence other than that for which extradition is requested.

2. The Requested State may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person claimed to the Requesting State in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between the States.

Article 21
Handing over of Property

1. The Requested State shall, in so far as its law permits and at the request of the Requesting State, seize and hand over property:
 - (a) which may be required as evidence, or
 - (b) which has been acquired as a result of the offence and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person claimed or is discovered subsequently.
2. The property mentioned in paragraph 1 of this Article shall be handed even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.
3. When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it is returned.
4. Any rights which the Requested State or third parties may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State as soon as possible after the trial.

Article 22
Transit

1. Transit through the territory of one of the Contracting States shall be granted on submission of a request by the means mentioned in Article 12, para 1, provided that the offence concerned is not considered by the State requested to grant transit as an offence of a political or purely military character having regard to provisions of this Treaty.
2. Transit of a national, within the meaning of Article 6, of a country requested to grant transit may be refused.
3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, it shall be necessary to produce the documents mentioned in Article 12.
4. If air transport is used, the following provisions shall apply:
 - a) when it is not intended to land, the Requesting State shall notify the State over whose territory the flight is to be made and shall certify that one of the documents mentioned in Article 12 exists. In the case of an unscheduled landing, such notification shall have the effect of a request for provisional arrest as provided for in Article 17, and the Requesting State shall submit a formal request for transit;
 - b) when it is intended to land, the Requesting State shall submit a formal request for transit.

Article 23
Applicable Laws

The procedure with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the law of the Requested State.

Article 24
Language

While complying with the present Treaty, the Contracting States shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting State or in the English language.

Article 25
Expenses

1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of extradition shall be borne by that State.
2. Expenses incurred by reason of transit through the territory of a State requested to grant transit shall be borne by the Requesting State.

Article 26
International Obligations

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 27
Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 28
Entry into Force and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the last day of the month following that of the latest communication through diplomatic channels between the parties indicating fulfillment of the respective internal legal requirements for its entry into force.
2. The provisions of the this Treaty shall be applicable to the extradition requests presented after the entry into force of the Treaty, irrespective of the date of commission of the offence or offences.
3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channels, and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Treaty.

Done at Madrid this the 20th day of June 2002
(Two Thousand and Two) in two originals each, in Spanish, Hindi and English, all texts being equally authentic. However, in case of difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), and in suppression of notification of the Government of India, if any existing, relating to extradition treaty or arrangement applicable in respect of the Kingdom of Spain, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the Kingdom of Spain with effect from the date of the publication of this notification.

[No. T. 413/35/98]

B. A. ROY, Jt. Secy. (CPV)